242

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 73/2013/XXVII(9)/मनो0कर–28/2009–T.C
देहरादूनः दिनांकः 25 फरवरी, 2013

26/2/13

अधिसूचना

आदेश

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2), धारा 4 की उपधारा (1), धारा 4(क) की उपधारा (1) और धारा 4(ख) की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से अधिसूचना संख्या–58/2010/XXVII(9)/मनो0कर–28/2009, दिनांक 06.09.2010 की अनुसूची की कम संख्या 5(ब) में प्रयुक्त शब्द "रीवर राफ्टिंग" को अधिसूचना संख्या 543/2012/XXVII(9)/मनो0कर–28/2009, दिनांक 03.12.2012 द्वारा विलोपित कर दिया गया है, को संशोधित करते हुये अधिसूचना पूर्वगामी तिथि दिनांक 06.09.2010 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(डी0 एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– 73 (1)/2013/XXVII(9)/मनो0कर–28/2009–T.C तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक पर्यटन, उत्तराखण्ड।
4. उपायुक्त मनोरंजन कर मुख्यालय/कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/प्रभारी मनोरंजन कर निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियां इस अनुरोध सहित कि इसे आसाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये, 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विक्रम सिंह राणा)
अनु सचिव।